न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
धापु देवी बनाम [illegible] कंकुम [illegible]
नं0 - 55/18
किस्म - प्रा0पत्र

03.04.2018

पत्रावली पैश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 08 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पटवारी द्वारा वकालत नामा मूल वाद में प्रस्तुत कर, प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति स्वरूप मूल वाद की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। सुचित होने के बावजूद शेष विपक्षीगण अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधी वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी हेतु हाजिर नही आये, लिहाजा विरूद्ध शेष विपक्षीगण के एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन एकपक्षीय हेतु दिनांक 15.05.2018 को पैश हो।

6/6/18 पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान मु. बनेडा पेश हुई। पत्रावली दिनांक 26/7/18 को पेश हो।

06.06.2018

पुनश्चयः–

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में पैश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। चुंकि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 23/2018 अन्तर्गत धारा 53, 88 188 आर.टी.एक्ट को आज शिविर के दौरान, मंजूर कर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नही रह जाती है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी बाबत स्थगन में विगत सुनवाई दिनांक 15.02.2018 से पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त करते हुए, आगे की कार्यवाही को स्थगित कर, इसी के मूल वाद संख्या 23/2018 के साथ नत्थी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।